**Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)**

**DEPARTMENT OF COMMERCE**

**JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA**

**FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework**

# Unit-1

## (Indian Contract Act, 1872)

## भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

**"सभी अनुबन्ध ठहराव होते है, परन्तु सभी ठहराव अनुबन्ध नहीं होते"**
**(All Contracts are Agreements, but all Agreements are not Contracts)**

उपयुक्त कथन को स्पष्ट करने के लिये इसका अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है -

**(i) समस्त अनुबंध ठहराव होता है -** ठहराव अनुबन्ध की आधार शिला है | यदपि एक ठहराव के राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने के कारण उसमें **धारा 10** में वर्णित विशेष लक्षणों का होना आवश्यक है, परन्तु बिना ठहराव के अनुबन्ध नहीं बन सकता अर्थात् यदि ठहराव नहीं है तो अनुबन्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता | इसलिये कहा जाता है की सभी अनुबन्ध ठहराव होते है |

**(ii) समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते -** ठहराव के लिये प्रस्ताव तहत स्वीकृति केवल दो बातों का होना आवश्यक है | अन्य, बातों जो एक अनुबन्ध में होनी चाहिये, ठहराव के लिये आवश्यक नहीं है | ठहराव के लिये वैधानिक उतर दायित्व (Legal Obligation) का होना भी आवश्यक नहीं है | गैर क़ानूनी कार्यों के लिये भी ठहराव हो सकते है | ठहराव का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण धार्मिक (Religious), सांस्कृतिक (Cultural), सामाजिक (Social) तथा नैतिक (Moral) उतरदायित्व भी ठहराव के अंतर्गत आ जाते है | वैधानिक

द्रष्टि से सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक उतरदायित्व से सम्बन्धित ठहराव अनुबन्ध का रूप धारण नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ठहरावों से वैधानिक उतरदयित्व उत्पन्न नहीं होता और इन्हें राजनियम (कानून) द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता | ठहराव के लिए यह आवश्यक नहीं है की वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो | वस्तुतः ठहराव होने के लिये अनुबन्ध का होना अनिवार्य नहीं है | इसलिये यह कहा जाता है की समस्त ठहराव अनुबन्ध नहीं होते अर्थात् कोई ठहराव, अनुबन्ध हो भी सकता है और नहीं भी | यदि किसी ठहराव में वैध अनुबन्ध के सभी लक्षण विधमान है जो वह ठहराव अनुबन्ध कहलाता है अन्यथा नहीं |

इस सम्बन्ध में **श्रीमति बालफोर बनाम श्री बालफोर (Mr, Balfour Vs, Mr, Balfour)** का प्रकरण भी उल्लेखनीय है | श्री बालफोर (परिवादी) लंका में नौकरी करते थे | छुट्टियों में वह अपनी पत्नी श्रीमती बालफोर (वादी) को लेने इंग्लैण्ड गये | पत्नी के अस्वस्थ होने के कर्ण वर प्रेम स्नेहवश उनको 30 पौण्ड प्रतिमाह भेजने के भेजने का वायदा करके लंका लौट आये | श्री बालफोर अपने वायदे के अनुसार राशि अपनी पत्नी को नहीं भेज सके, अतः श्रीमती बालफोर ने उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिये अपने पति पर मुकदमा दायर कर दिया | न्यायालय में यह निर्णय देते हुये की इस ठहराव द्वारा वैधानिक उतरदायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, मुकदमा रद क्र दिया |
**विशेष** - वादी उसे कहते है जो मुकदमा दायर करता है एवं जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है, उसे प्रतिवादी कहते है

शून्य(Void) तथा शून्यकाणीय(Zero) अनुबंध को स्पष्ट कीजिये

(अ) शून्य अनुबन्ध( void contract) -

इसे व्यर्थ अनुबन्ध' भी कहते है | धारा 2(जे) के अनुसार, "एक अनुबंध जब कानून द्वारा परिवर्तित नहीं रहता, उस समय शून्य (व्यर्थ) हो जाता है जब इसकी प्रवर्त्नियता समाप्त होती है |" सरल शब्दों में, ऐसा अनुबन्ध जो अनुबन्ध करते समय तो वैध होता है परन्तु बाद में, किन्हीं कारणों से, कानून द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाता है, व्यर्थ अनुबन्ध कहलाता है | उदाहरणार्थ - 'X, 'Y से एक गाय 5,000 रुपये में बेचने का अनुबंध भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर सुपुर्दगी देने का करता है लेकिन गाय उस निश्चित तिथि के आने से पहले मर जाती है तो ऐसे अनुबंध का निष्पादन होना असम्भव हो जाने के कर्ण अनुबंध व्यर्थ हो जायेगा |

(ब) शून्यकाणीय अनुबंध( voided contract or zero contract) -

इसे 'व्यर्थनीय अनुबन्ध' भी कहते है | धारा 2 (आई) के अनुसार, "ऐसा समझौता जो उससे सम्बन्धित एक या अधिक पक्षों की इच्छा पर कानून द्वारा परिवर्तनीय होता है, किन्तु दूसरे पक्ष या पक्षों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबन्ध कहलाता है |" सरल शब्दों में, "व्यर्थनीय अनुबन्ध' से अभिप्राय ऐसे समझौते से है जिसके सम्बन्ध में पीड़ित पक्ष (Aggrieved Party) को यह अधिकतर प्राप्त होता है की यदि वह चाहे तो अनुबंध को रद करा सकते है और चाहे तो इसे बना रहने दे सकते है, अर्थात् अनुबन्ध कानून द्वारा प्रवर्तित माना जाये या नहीं यह पीड़ित पक्ष की इच्छा (Option) पर निर्भर करता है | जब तक अनुबंध को रद नहीं किया जाता तब तक पूर्णतः वैध तथा परिवर्तनीय रहता है |

कोई अनुबन्ध केवल उसी दशा में व्यर्थनीय होता है जबकि किसी पक्ष की सहमति स्वतन्त्र न होकर बल प्रयोग (Coercion), अनुचित प्रभाव (Undue influence), मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) या कपट (Fraud) द्वारा प्राप्त की गई हो | ऐसी स्थिति

में जी पक्ष की सहमति स्वतन्त्र नहीं है उस पक्ष की इच्छा पर अनुबन्ध व्यर्थनीय या परिवर्तनीय होता है |

उदाहरणार्थ - यदि अजय, विजय को पिस्तौल दिखाकर उसका स्कूटर जिसका उचित मूल्य 6,000 रुपये है, केवल 1,000 रुपये देकर क्रय कर लेता है | यह पर विजय पीड़ित पक्षकार है एवं अजय दोषी पक्षकार है क्योंकि विजय की सहमति बल प्रयोग द्वारा प्राप्त की गई है | अतः अनुबन्ध विजय की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा |

निष्पादित तहत निष्पादनीय अनुबंध को स्पष्ट कीजिये

(अ) निष्पादित अनुबन्ध (Executed Contract ) – जब किसी अनुबन्ध के सभी पक्षकार अपने-अपने दायित्व को पूरा कर चुके होते है और उसके पश्चात् कुछ करना शेष न हो तो यह निष्पादित अनुबन्ध कहलाता है |
उदाहरणार्थ - रमेश मोहन को एक रेडियो 300 रुपये में बेचता है | मोहन रेडियो के मूल्य का भुगतान रमेश कर देता है | रमेश मोहन को रेडियो की सुपुर्दगी दे देता है | चूंकि दोनों पक्षकारो ने अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण पालन कर दिया है इसलिए इसे निष्पादित अनुबन्ध कहेंगे |

(ब) निष्पादनीय अनुबन्ध - (Executor Contract) – जब किसी अनुबन्ध के एक अथवा दोनों ही पक्षकारो ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया है, एवं भविष्य में अपने दायित्व को पूरा करेंगे, तो ऐसा निष्पादनीय अनुबन्ध कहलाता है |

उदाहरण - रमेश मोहन के लिये एक चित्र बनाने का वचन देता है मोहन रमेश को चित्र प्रतिफलस्वरूप 500 रुपये देने का वचन देता है | परन्तु अभी तक न तो

रमेश ने चित्र बनाया है और न मोहन ने 500 रुपये का भुगतान किया है | इसे निष्पादनीय अनुबन्ध कहेंगे |

यदि अनुबन्ध के एक पक्षकार ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है परन्तु दूसरे पक्ष को अभी दायित्व पूरा करना है तो ऐसे अनुबन्ध को अशंत: निष्पादित एवं अशंत निष्पादनीय माना जाता है |

उदाहरणार्थ - रमेश, मोहन के लिये एक चित्र बनाने के लिये अपनी सहमति देता है और प्रतिफल के रूप में मोहन, रमेश को 500 रुपये का भुगतान कर देता है | मोहन के लिये अनुबन्ध निष्पादित है, परन्तु रमेश के लिये निष्पादनीय है |

## ❖ Communication of proposal and acceptance) प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहन

प्रस्ताव एवं स्वीकृति तभी वैध माने जाते है जब उनकी सुचना दूसरे पक्ष को दे दी जाती है | प्रस्तावक की सुचना मिले बिना स्वीकृति महत्वहीन है तथा स्वीकृति की इच्छा दिल में रखना और प्रकट न करना भी महत्वहीन है | जब प्रस्तावक एवं स्वीकर्ता अपने-सामने हो तो संवहन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती | परन्तु जब दोनों पक्ष एक दूसरे से दूर है तथा वे डाक के माध्यम से समझौते करते है जब यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है की प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहन कब पूर्ण माना जाये? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम है -

**प्रस्ताव का संवहन (Communication of Proposal) –** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, "प्रस्ताव का संवहन यह सुचना तब पूर्ण मानी जाती है जैसे राम, श्याम को एक पत्र द्वारा अपना मकान 80,000

रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है | इस प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जायेगा जब प्रस्ताव का पत्र श्याम को मिल जाये |

**स्वीकृति का संवहन (Communication of Acceptance) –** धारा 4 के अनुसार स्वीकृति के संवहन के सम्बन्ध निम्नलिखित नियम है -

**(अ) प्रस्ताव के विरुद्ध (An Against Proposer) –** (अर्थात् प्रस्तावक को बाध्य करने के लिये) उस समय पूरा माना जायेगा जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति को प्रेषित कर दिया है तथा इन स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया | दूसरे शब्दों में, स्वीकृति पत्र डाक छोड़ दिया जाता है, जिससे की फिर स्वीकृति-पत्र को वापस ले उसकी (स्वीकर्ता) शक्ति से बाहर हो जाता है |

**(ब) स्वीकारक के विरुद्ध (An Against Acceptor) -** (स्वीकर्ता को बाध्य करने के लिये) उस समय पूरा जायेगा जब स्वीकृति-पत्र वास्तव में प्रस्तावक की जानकारी में आ जाता है | दूसरे शब्दों में, जब स्वीकृति-पत्र वास्तव में प्रस्तावक के पास पहुँच जाता है | उदाहरणार्थ, विजय डाक पत्र भेजकर, अजय के पत्र को स्वीकार करता है | अजय के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूर्ण हुआ जायेगा जबकि विजय ने स्वीकृति को डाकखाने में अजय के पास पहुँचने के लिये डाल दिया हो | विजय के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूर्ण होगा जबकि अजय को विजय का स्वीकृति-पत्र प्राप्त हो जायेगा |

स्वीकृति के संवहन के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बाते -

1. टेलीफोन पर स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुबन्ध अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है | अतः इसमें वही नियम लागू होते है जो पक्षकारो द्वारा एक-दूसरे के सामने-दूसरे किये गये अनुबन्धो पर लागू होते है |

2. टेलेक्स पर किये गये प्रस्ताव की स्वीकृति का संवहन उस समय पूरा हुआ माना जाता है जबकि यह टेलेक्स पर आ जाती है |

3. यदि स्वीकृति पत्र डाक में खो जाता है या देर से पहुँचता है तब भी प्रस्तावक स्वीकृति से बाध्य माना जाता है, परन्तु प्रस्तावक को बाध्य करने के लिये यह सिध्द करना आवश्यक है की स्वीकृति-पत्र डाक में डाला था |

4. स्वीकर्ता की गलती से स्वीकृति अशुद्ध पते द्वारा भेज दी जाये तो प्रस्तावक इस तरह की स्वीक्रति के लिये बाध्य नहीं होगा और इस तरह की स्वीकृति उचित ढंग से भेजी हुई नहीं समझी जायेगी | किन्तु जब प्रस्तावक स्वयं गलत पता दे और यह स्वीकर्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाये, तब इस तरह की स्वीकृति नियमित समझी जायेगी |

## ❖प्रस्ताव की स्वीकृति का खण्डन (Revocation of Proposals and Acceptances)

खण्डन का तात्पर्य किसी पक्षकार द्वारा दिये वचन को 'वापस लेने' या 'रद करने' से है |

प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को तथा स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति को वापस लेकर प्रस्ताव या स्वीकृति का खण्डन करते सकते है | व्यवहार में ऐसी अनेक स्थितियाँ आती है जब प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का या स्वीकृति को वापस लेना चाहता है |

प्रश्न यह है की प्रस्ताव और स्वीक्रति का खण्डन कब तक किया जाता है | इस सम्बन्ध में **भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 5** में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है -

**"प्रस्ताव का खण्डन प्रस्ताविक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने के पहले किसी भी समय किया जा सकता है परन्तु बाद में नहीं, जबकि**

**स्वीकृति का खण्डन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय भी किया जा सकता है परन्तु बाद में नहीं |"**

**उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण -** 'A 1 जनवरी को एक पत्र द्वारा अपना मकान 80,000 रुपये में 'B को बेचने का प्रस्ताव करता है | 'B को यह पत्र 4 जनवरी को प्राप्त होता है 'B 5 जनवरी को अपनी स्वीकृति, पत्र द्वारा भेज देता है | यह स्वीकृति पत्र 'A को 8 जनवरी को प्राप्त होता है | ऐसी दशा में 'A अपने प्रस्ताव को 5 जनवरी से पूर्व अर्थात् 'B द्वारा स्वीकृति पत्र को डाक में डालने से पूर्व किसी भी समय 'B अपनी स्वीकृत का खण्डन 8 जनवरी के पूर्व अर्थात् 'A को स्वीकृति पत्र मिलने के पूर्व किसी भी समय कर सकता है |

Definition

प्रस्ताव - जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के समक्ष उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से रखता है तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है

वचन - जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन का रूप धारण कर लेता है

वचन दाता और वचन ग्रहीता - प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति प्रस्तावक यह वचन दाता कहलाता है और प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है

ठहराव - प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है

व्यर्थ ठहराव - एक ठहराव जो कानूनन परिवर्तनीय ना हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है